27/12/19

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उप०।

चूंकि हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित मूल

प्र०पत्र टी.आई. का आज निस्तारण किया

जा चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण

में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर ड्राप

की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर

नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल

दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया

गया।

(रणजीत सिंह)
सहायक कलेक्टर
RAS
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला (सीकर) सत्यमेव जयते